कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि को साईकिल स्टैण्ड, चाय कैन्टीन, फल–फूट चाट–चबैना एवं तम्बाकू रहित पान की दुकान हेतु वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है, जिस हेतु दिनाँक 28.03.2016 दिन सोमवार समय सायं 4:00 बजे नियत है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी से सम्बन्धित अधिक जानकारी, केन्द्रीय नाज़िर से प्राप्त की जा सकती है।

23/03/16

(विकास सक्सेना–I)
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2,
हाथरस।

Approved

17/3/16

जनपद न्यायाधीश,
हाथरस

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

इश्तहार नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस में स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि को साईकिल स्टैण्ड, चाय कैन्टीन, फल–फ्रूट चाट–चबैना एवं तम्बाकू रहित पान की दुकान हेतु वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है। उपरोक्त ठेके की नीलामी हेतु दिनाँक 28.03.2016 दिन सोमवार को सायं 4:00 बजे जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में नीलामी की बोली बोलने हेतु नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी की समस्त शर्तों के सम्बन्ध में जानकारी के लिये केन्द्रीय नाज़िर से जानकारी ली जा सकती है।

नीलामी की आवश्यक शर्ते :–

01. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि रू0 20,000/– (बीस हजार) रूपये जमा करने होंगे। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
02. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि जमा करनी होगी। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
03. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
04. ठेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
05. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा।
06. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
07. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा।
08. ठेकेदारों को नीलामी की समस्त धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, यदि उसके द्वारा ठेके की शर्तों का पालन न करते हुये समस्त धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर नीलामी की कार्यवाही पुनः की जायेगी।
09. प्रत्येक ठेकेदार को, जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अन्डरटेकिंग देनी होगी।

03.03.16

(विकास सक्सेना–I)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–2, हाथरस।

प्रतिलिपि–

1. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. मुनादी कराये जाने हेतु।
6. समाचार पत्र में सरकारी दर से प्रकाशन हेतु।
7. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

03.03.16

अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–2, हाथरस।

जनपद न्यायाधीश
हाथरस